

गन्ना विकास योजनायें

क्र०	संचालित योजनाओं के नाम	विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान
1.	जिला योजना :-	
	1-सघन गन्ना विकास	
	क-उन्नतिशील गन्ना बीज पौधशाला	
	1-आधार पौधशाला	रु0 1000/- प्रति हेक्टेर सामान्य तथा रु0 2000/- प्रति हेक्टेर अनुजाति / जनजाति को अनुदान दिया जाता है।
	2-प्राथमिक पौधशाला	रु0 500/-प्रति हेक्टेर सामान्य तथा रु0 1000/- प्रति हेक्टेर अनुजाति / जनजाति को अनुदान दिया जाता है।
	ख-बीज उपचार/भूमि उपचार	सम्बन्धित दवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान 2500 टी0सी0डी0 क्षमता वाली मिल क्षेत्र को तथा 2500 टी0सी0डी0से ऊपर की मिल को 12.5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
	ग-पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम	उपयोगकर्ता की भाँति।
	2-अन्तर्रामीण सड़क निर्माण योजना	निर्मित होने वाली सड़क का 50 प्रतिशत राज्यांश एवं 50 प्रतिशत धनराशि अंशदायी संस्थाओं जैसे-चीनी मिल, गन्ना विकास परिषद से अनुदान स्वरूप दिया जाता है।
2.	राज्य सेक्टर :-	
	समग्र ग्राम में समतामूलक समाज अनुजाति/जनजाति के लिए गन्ना खेती प्रोत्साहन:-	
	1-समिति की सदस्यता	अनुजाति/जनजाति के सदस्यों के लिए अनुदान स्वरूप सदस्यता शुल्क रु0 200/-प्रतिसदस्य दिया जाता है।
	2-प्रदर्शन	0.200 हेक्टेर प्रति प्रदर्शन पर रु0 2000/-अनुदान स्वरूप दिया जाता है।
	3-गन्ना बीज उपलब्धता	प्रति सदस्य 10 कु0 बीज अनुदान स्वरूप निशुल्क दिया जाता है।

3.	केन्द्रीय पुरोनिधानित मैंको - मैनेजमेन्ट योजना :-	
	1-प्रदर्शन	प्रदर्शन 0.500 हेक्टेर के स्थापित किए जाते हैं जिस पर ₹ 0 5000/- प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है।
	2-बीज संवर्धन की योजना आधार पौधशाला पर अनु.	केन्द्रक बीज से स्थापित पौधशाला पर प्रति हेक्टेर ₹ 2000/- अनुदान दिया जाता है। आधार पौधशाला पर अनु.
4.	कृषि संयंत्र वितरण	1-पशु/मानव चालित यंत्र:- यंत्र के क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 0 750/- अनुदान स्वरूप दिया जाता है। 2-ट्रैक्टर चालित यंत्र :- यंत्र के क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 0 10,000/- का अनुदान कृषकों को दिया जाता है। वितरण किये जाने वाले कृषि संयंत्रों का विवरण निम्न प्रकार हैः-
	अ- मानव चालित :-	1- शुगर केन हावेस्टिंग चाकू 2- स्प्रेयर 3- मैनुवल शुगर केन स्टाइपर
	ब- बैल चालित यंत्र :-	1- रिजर / हैरोवर 2- बीडर / मल्चर, स्वीप कल्टीवेसन फार इन्टरकल्चर आपरेशन 3- कस्ट ब्रेकर 4- शुगरकेन प्लान्टर 5- थ्री टाइन कल्टीवेटर 6- हः डिस्क हैरो 7- फ्राइब टाइन कल्टीवेटर
	स- ट्रैक्टर चालित यंत्र :-	1- रोटावेटर 2- सेट कटिंग मशीन 3- 2या3 लाइन सेमी-आटोमेटिक शुगरकेन प्लान्टर / कटर प्लान्टर 4- स्ट्रवल सेवर 5- बीडर (9 या 11 ब्लेड) 6- कल्टीवेटर (9 या 11 ब्लेड)

5.	प्रशिक्षण (गज्य एवं कृषक)	<p>गन्ना कृषकों को नई तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में गन्ना किसान प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। प्रशिक्षण केन्द्र मु०नगर, शाहजहाँपुर, लखनऊएबलगमपुर, गोरखपुर एवं बनारस में स्थापित हैं जिन पर गन्ना कृषकों को उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाता है। गन्ना कृषकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाने हेतु केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 50 रु० प्रतिदिन के हिसाब से स्वल्पाहार हेतु दिया जाता है। इसके साथ ही गन्ना किसानों को गन्ना खेती से सम्बन्धित साहित्य का वितरण भी कराया जाता है। प्रशिक्षण में गन्ना वैज्ञानिकों को बुलाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाता है।</p>
3.	समग्र ग्राम विकास योजना	<p>(अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को गन्ना फसल उगाने पर) गन्ना समिति की सदस्यता, प्रदर्शन तथा 10 कुन्तल बीज गन्ना निःशुल्क</p>
		निःशुल्क प्रचार प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह एवं अध्ययन यात्रायें
		अधिक जानकारी के लिये निकट के जिला गन्ना अधिकारी से सम्पर्क करें।